

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर-

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन संख्या-477/2021 M/s Ratek Pheon Friction Technologies Pvt Ltd V. UOI में पारित निर्णय दिनांक 15-09-2021 के द्वारा वे व्यापारी जिनके द्वारा Technical glitches के कारण Tran 1 व Tran 2 समयान्तर्गत दाखिल नहीं किया गया था को पुनः Tran 1 / 2 दाखिल करने का अवसर दिया गया है ।

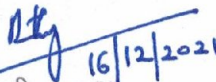
उक्त निर्णय के Operative Para के बिन्दु (73-77) में Tran 1 / 2 को दाखिल करने का दिशा-निर्देश (directions) दिए हैं, जो निम्न प्रकार हैं ।

- 1- इस कोर्ट के समक्ष उपस्थित समस्त पिटीशनर्स Tran 1 / 2 भौतिक रूप में अपने क्षेत्राधिकार अधिकारी (Jurisdictional Authority) को इस निर्णय की तिथि के चार सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे ।
- 2- Jurisdictional Authority इन पर CGST की धारा 140 व नियम-117 के अन्तर्गत एक लिखित रिपोर्ट तैयार करेंगे ।
- 3- ऐसे केसेज में जहाँ कोई आपति नहीं हो, अथवा भौतिक रूप से दाखिल Tran 1/ 2 रिवाइज्ड / रि-रिवाइज्ड करने की आवश्यकता न हो के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर Jurisdictional Authority द्वारा तैयार की जाएगी ।
- 4- यदि कोई आपति हो तो पिटीशनर्स को भौतिक रूप से दाखिल Tran 1 / 2 में सुधार का एक अवसर दिया जाएगा । यह प्रक्रिया तीन सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने के पश्चात रिपोर्ट दाखिल की जाएगी ।
- 5- उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद Jurisdictional Authority इस रिपोर्ट को भौतिक रूप से दाखिल Tran 1 / 2 के साथ GST Network को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करेंगे, उक्त की एक प्रति पिटीशनर्स को भी ई-मेल अथवा अन्य स्वीकृत विधि से प्रेषित करेंगे । इस आदेश के क्रम में दाखिल Tran 1 / 2 को समयान्तर्गत न होने के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा ।
- 6- GST Network Tran 1 / 2 प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर या स्वयं अपलोड करेंगे अथवा पिटीशनर्स को दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय देंगे ।
- 7- उपरोक्त प्रक्रिया का पालन मात्र एक ही बार किया जा सकेगा और इस विधि से दाखिल Tran 1 / 2 में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।
- 8- कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि Technical glitches की समस्या प्रदेश के अन्य पंजीकृत व्यापारी / करदाता को भी होने की सम्भावना है । अतः यह आदेश सामान्य आदेश की तरह लागू

होगा और वह व्यापारी जो इस कोर्ट के समक्ष नहीं है उन्हें भी उक्त आदेश का लाभ प्राप्त होगा । ऐसे व्यापारी इस आदेश की तिथि से 08 सप्ताह के अन्दर अपने Jurisdictional Authority के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

मा0 हाईकोर्ट के उक्त निर्णय के पश्चात प्रदेश के कतिपय व्यापारियों द्वारा Tran 1 / 2 दाखिल करने हेतु प्रार्थना पत्र अपने Jurisdictional Authority के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे Jurisdictional Authority द्वारा मा0 हाईकोर्ट के समस्त direction का पालन करते हुए GSTN को प्रेषित किया गया था, परन्तु GSTN द्वारा समस्त प्रार्थना पत्रों को यह सूचित करते हुए ई-मेल द्वारा वापस कर दिया गया कि ग्यारहवीं ITGRC मीटिंग में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा किसी न्यायालय के स्वीकृत निर्णय को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ही जी0एस0टी0 काउन्सिल को प्रेषित किया जाएगा ।

मा0 हाईकोर्ट के उक्त निर्णय व GSTN द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित ई-मेल के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया जाता है कि याचिका कर्ताओं से प्राप्त हो रहे Tran 1 / 2 से सम्बन्धित समस्त प्रार्थना पत्रों को उनके Jurisdictional Authority, CGST एवं SGST अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप Transitional Credit के आकड़ों की सत्यता (Correctness) एवं अर्हता की जांच व्यापारी के मूलप्रपत्रों से करनै के पश्चात स्वीकृति हेतु Zonal Additional Commissioner को प्रेषित करेंगे, जो इन प्रार्थना पत्रों का पुनः परीक्षण (Cross Verification) करवाने के पश्चात अपने हस्ताक्षर से GSTN को प्रेषित करेंगे । सम्बन्धित अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि मा0 हाईकोर्ट के उक्त निर्णय का सम्यक अध्ययन करते हुए समस्त कार्यवाही निर्देशित समयानुसार ही करना सुनिश्चित करें ।


(मिनिस्ती एस0)

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।